

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 24/2025 (Bank Case)

GCMS No. 2025/196

एआरटी हाउसिंग फाईनेन्स (इण्डिया) लिमिटेड जिसका प्रधान कार्यालय:- 107, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 एवं जिसका एक रीजनल हब कार्यालय-49, उद्योग विहार, फेज-4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय- ऑफिस नं0 139, प्रथम-तल, मेट्रो पुलिस टॉवर, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री पवन कुमार।

— प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Mr. Bharat Ram Meena S/o Mr. Nand Kishore Meena  
( Borrower/ Mortgagor)  
Address1: H.no.40-41, Dev Nagar, Anantpura, kota- 324005  
Address2: Hanotiya, Bhandà Heda, Dist. Kota -325203
2. Mrs. Saxena Meena  
( Co-Borrower)  
Address1: H.no.40-41, Dev Nagar, Anantpura, kota- 324005  
Address2: Hanotiya, Bhandà Heda, Dist. Kota  
Mr Mahavir Meena S/o Mr. Ram Kishan (Co-Borrower & Mortgagor)  
Address1: H.no.40-41, Dev Nagar, Anantpura, kota- 324005  
Address2: Hanotiya, Bhandà Heda, Dist. Kota
4. Mr. Dhanraj Meena s/o Mr. Ram Kishan (Co-Borrower & Mortgagor)  
Address1: H.no.40-41, Dev Nagar, Anantpura, kota- 324005  
Address2: Hanotiya, Bhandà Heda, Dist. Kota
5. Mr. Nand Kishor Meena s/o Mr. Hatati Lal (Co-Borrower & Mortgagor)  
Address1: H.no.40-41, Dev Nagar, Anantpura, kota- 324005  
Address2: Hanotiya, Bhandà Heda, Dist. Kota

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 07 .01.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एआरटी हाउसिंग फाईनेन्स (इण्डिया) लिमिटेड जिसका प्रधान कार्यालय:- 107, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 एवं जिसका एक रीजनल हब कार्यालय-49, उद्योग विहार, फेज-4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय- ऑफिस नं0 139, प्रथम-तल, मेट्रो पुलिस टॉवर, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 29.07.2017 को खाता संख्या LNKOT06918-190004689 में रुपये 24,99,933 /- (अक्षरों: चोईस लाख निन्यानवें हजार नौ सौ तैतीस रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में 1) श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री नन्दकिशोर मीणा की एक आवासीय सम्पत्ति

पट्टा संख्या-06955, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 8640 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- खाल, दक्षिण में- नन्दकिशोर का मकान,

2) श्री महावीर मीणा पुत्र श्री रामकिशन की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06956, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1760 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- नन्दकिशोर का मकान, दक्षिण में- धनराज का मकान,

3) श्री नन्दकिशोर मीणा पुत्र श्री हट्टीलाल मीणा की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06957, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1760 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- भरतराम का मकान, दक्षिण में- महावीर का मकान,

4) श्री धनराज मीणा पुत्र श्री रामकिशन की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06958, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2560 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- महावीर का मकान, दक्षिण में- गोपाल, जगदीश व हंसराज का मकान,

है जो प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.09.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों में 23,39,906/- (अक्षरे तेईस लाख, उनचालीस हजार नौ सौ छ रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 06.09.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 06.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक

l

द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता 1) श्री भरतराम मीणा पुत्र श्री नन्दकिशोर मीणा की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06955, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है,

जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 8640 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- खाल, दक्षिण में- नन्दकिशोर का मकान,


2) श्री महावीर मीणा पुत्र श्री रामकिशन की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06956, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्राम-पंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1760 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- नन्दकिशोर का मकान, दक्षिण में- धनराज का मकान,

3) श्री नन्दकिशोर मीणा पुत्र श्री हट्टीलाल मीणा की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06957, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1760 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- भरतराम का मकान, दक्षिण में- महावीर का मकान,

4) श्री धनराज मीणा पुत्र श्री रामकिशन की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-06958, खसरा संख्या 446, ग्राम- हानोतिया, तहसील-दीगोद, ग्रामपंचायत-रेलगांव, पंचायत समिति- सुल्तानपुर, जिला-कोटा (राज.) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2560 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- आम रास्ता, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- महावीर का मकान, दक्षिण में- गोपाल, जगदीश व हंसराज का मकान,

का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक ०७.01.2026 को सुनाया गया।

  
(पीयूष समारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)

